न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी 2291-II-15

प्रकरण कमांक /2015 पुनरीक्षण

श्री एच. के. श्रीवास्तव
द्वारा आज दि. 22/7/15
प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्यामलाल त्रिपाठी पुत्र श्री जगतदेव ब्राहम्ण निवासी– ग्राम गढ़वा, थाना व तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी, म0प्र0, ---आवेदक

बनाम

1. रिलायसं गैस पाइप लाइन लिमिटेड थर्ड फ्लोर मेकर चैम्बर्स फोर नरीन प्लवॉइन्ट मुम्बई, द्वारा अनिलसिंह सर्वेयर निवासी– मुम्बई (महाराष्ट्र)
2. म0प्र0 शासन --अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 13/05/2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील रामपुर नेकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 06/अ–12/2014–15 व उनवान रिलायसं गैस पाइप लाइन लिमिटेड बनाम म0प्र0 शासन आदि

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपनी प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 145/2 रकवा 0.010 हैक्टर, 146/2 रकवा 0.23

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2291-दो/15 **जिला** - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/05/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार रामपुर नैकिन जिला सीधी के प्रकरण क्र. 06/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13.05.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) **सदस्य**	